रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II— Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 237] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 16, 1985/वैशाख 26, 1907
No. 237] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 16, 1985/VAISAKHA 26, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 16 मई, 1985

आदेश

का.आ. 393(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक

मंत्रालय (रसायन और उर्वरक विभाग) के आदेश सं. का.आ. 548(अ) तारीख 8 जुलाई, 1981 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त आदेश के नीचे सारणी में क्रम सं. 7 से 10 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5
"7.	डाक्सोसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि.ग्रा. प्रति कैप्सूल	10 की पट्टी/ बोतल	17.18
8.	डाक्सोसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि.ग्रा. प्रति कैप्सूल	4 की पट्टी/ बोतल	6.87
9.	डाक्सोसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि.ग्रा. प्रति कैप्सूल	2 की बोतल	4.51
10.	डाक्सोसाइक्लिन कैप्सूल	100 मि.ग्रा. प्रति कैप्सूल	3 की बोतल	6.27"

टिप्पण : मूल आदेश सं. का.आ. 548(अ) तारीख 8-7-1981 में प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें अधिसूचना सं. 707(अ) तारीख 29-9-83, 445(अ) तारीख 15-6-1984, 678(अ) तारीख 6-9-84 और 832 (अ) तारीख 7-11-84 द्वारा संशोधन किया गया।

[सं. 9(15)/85-डी II]

प्रदीप मेहरा, उप सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 16th May, 1985

ORDER

S.O. 393(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby makes the following

further amendment in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Fertilizers) No. S.O. 548(E), dated the 8th July, 1981, namely :—

In the Table below the said Order, for serial numbers 7 to 10 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall, respectively, be substituted namely :—

1	2	3	4	5
"7.	Doxycycline Capsules	100 mg/cap.	10's strip/ bottle	17.18
8.	Doxycycline Capsules	100 mg/cap.	4's strip/ bottle	6.87
9.	Doxycycline Capsules	100 mg/cap.	2's bottle	4.51
10.	Doxycycline Capsules	100 mg/cap.	3's bottle	6.27"

Note : The principal order was published in No. S.O. 548 (E), dated 8-7-1981 and has subsequently been amended vide Notification Nos. 707(E), dated 29-9-83, 445(E), dated 15-6-84, 678(E), dated 6-9-84 and 832(E), dated 7-11-84.

[No. 9(15)/85-D. II]

PRADIP MEHRA, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985